**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 738**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक) को दिया गया)**

**सीमा-पार के दिवाला मामले**

**738. श्री सुधीर गुप्ता:**
**श्री रविन्दर कुशवाहाः**
**श्री प्रतापराव जाधवः**
**श्री नामा नागेश्वर रावः**
**श्री रवि किशनः**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**
**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**
**श्री बिद्युत बरन महतोः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सीमा पार के दिवाला मामलों की प्रयोज्यता से बाहर रखने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सीमा-पार के दिवाला मामलों पर ध्यान देने के लिए कोई नए मसौदा नियम जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने आईबीसी के अंतर्गत सीमा पार के दिवाला संबंधी रूपरेखा के मसौदे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(राव इंद्रजीत सिंह)**

**(क):** दिवाला विधि समिति (आईएलसी), जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित एक स्थायी समिति है, ने अक्तूबर, 2018 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कुछ निकायों को आईबीसी के तहत प्रस्तावित सीमा-पार दिवाला उपबंधों की प्रयोज्यता से उन्मुक्त किया जाए। सीमा-पार दिवाला नियम/ विनियमन समिति (सीबीआईआरसी), जो सीमा-पार दिवाला ढांचा के लिए नियमों और विनियमों की संस्तुति करने हेतु जनवरी, 2020 में गठित की गई थी, ने जून, 2020 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं तथा कतिपय अन्य निकायों, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को सीमा-पार दिवाला उपबंधों की प्रयोज्यता से उन्मुक्त किया जाए।

**(ख) से (घ):** आईबीसी के तहत सीमा-पार दिवाला संबंधी मामलों से निपटने के लिए, सीमा-पार दिवाला से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) मॉडल कानून, 1997 पर आधारित, विधायी ढांचे के मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत किया गया, ताकि जून, 2018 में हितधारकों से सुझाव प्राप्त किया जा सके। इस तरह प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की जांच के आधार पर, आईएलसी ने अक्तूबर, 2018 की अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव देते हुए सिफारिश की कि भारतीय परिदृश्य में कतिपय आवश्यक संशोधनों सहित यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून अपनाया जाए। साथ ही, सीबीआईआरसी की सिफारिशों के आधार पर, इस ढांचे में कतिपय परिवर्तन करते हुए उसे सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत किया गया ताकि नवंबर, 2021 में हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जा सकें।

**(ङ) और (च):** जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है, दो समितियों ने आईबीसी के अंतर्गत सीमा-पार दिवाला संबंधी मामलों से निपटने के लिए विधायी ढांचे की समीक्षा की है। ये दोनों रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट और भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

*****